

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9 / 2019

जयपुर, दिनांक : 18.05.2020

आदेश

विषय :- लॉकडाउन 4.0 (दिनांक 18 से 31 मई, 2020) के क्रियान्वयन आदेश।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 17.05.2020 द्वारा सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 31 मई, 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। तदनुसार गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 मई, 2020 द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुसरण में राजस्थान राज्य में **दिनांक 18 से 31 मई, 2020** तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 4.0 क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन्स जारी की जाती है।

ये गाईडलाईन्स कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा एवं सावधानियों तथा आजीविका सुनिश्चित करने हेतु राज्य में आर्थिक गतिविधियों को पुनः प्रारम्भ करने के दोहरे सिद्धांतों पर आधारित है। ये आदेश पूर्व में जारी किये गये सभी आदेशों के अतिक्रमण में जारी किये गये हैं, जब तक कि विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो।

A. "प्रतिबन्ध" (Restrictions):

निम्नांकित प्रतिबन्ध सम्पूर्ण राज्य में **31 मई, 2020 तक**, जोनल वर्गीकरण (रेड, ऑरेंज या ग्रीन) के भेद के बिना लागू रहेंगे :

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत :

(a) जब तक कि इन गाईड लाईन्स में विशिष्ट रूप से, और हद तक उपबंधित नहीं किया गया हो, जैसे कि A. (3) vi एवं vii, सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवगमन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध।

(b) सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

ये निम्न पर लागू नहीं होंगे :

- (1) पुलिस/जिला प्रशासन/सरकारी अधिकारी जो सक्रिय फील्ड ड्यूटी पर है।
- (2) चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा/पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय/निजी) पारी/आपातकालीन ड्यूटी पर।
- (3) IT और ITeS कम्पनियों का स्टाफ (रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन/पुलिस से प्राप्त करना होगा)।
- (4) चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये।
- (5) दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ (रात्रि यात्रा पास के साथ)।
- (6) ट्रक/ माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हों, का आवागमन।

(c) सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) सांय 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायें ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सांय 7 बजे तक अपने घर

पहुच जायें। विशेष परिस्थिति में इस समय पश्चात खोलने हेतु जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

परन्तु यह समय सीमा निम्न पर लागू नहीं होगी :

- (1) निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रियाँ।
- (2) रात की पारी वाली फैक्ट्रियाँ।
- (3) निर्माण गतिविधियाँ (भीषण गर्मी की अवधि में)

शर्तें : इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक या स्टाफ सड़क पर नहीं आएगा तथा वर्णित प्रक्रियानुसार पारियों का अंतराल रखा जाएगा।

- (4) IT और ITeS कम्पनी।
- (5) दवा की दुकानें।

(2) निषिद्ध गतिविधियाँ (Prohibited Activities):
सम्पूर्ण राज्य में निम्नलिखित गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी :

- i. घरेलू चिकित्सा सेवाएँ/घरेलू एयर एम्बुलेन्स/सुरक्षा उद्देश्यों या भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत अन्य उद्देश्यों को छोड़कर, यात्रियों के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।
- ii. मेट्रो रेल सेवाएँ।
- iii. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- iv. स्वास्थ्य/पुलिस/सरकारी कर्मचारियों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में लिए गए होटल्स एवं आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी होटल एवं आतिथ्य सेवाएँ तथा बस डिपो, रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डों पर कैटीन भी।
- v. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
- vi. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएँ एवं बड़े सामूहिक आयोजन।
- vii. सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- viii. पान गुटका, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

(3) प्रतिबन्धित गतिविधियाँ (Restricted Activities) : कंटेनमेंट जोन के अलावा निम्नलिखित गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रतिबंधों के साथ अनुमत होंगी :

- i. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउण्ड खुल सकते हैं, तथापि क्लब हाउस व समान सुविधाएँ नहीं खुलेंगी एवं दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।
- ii. रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें टेक-अवे एवं होम डिलीवरी के लिए ही खुल सकेंगे एवं परिसर के अंदर किसी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी।
- iii. निम्नांकित प्रतिबंधों के साथ समस्त दुकानें खोली जा सकेंगी :—
 - (1) दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को कोई विक्रय नहीं किया जायेगा जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर परिणाम स्वरूप जुर्माना, दुकान बन्द या कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
 - (2) सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट—“दो गज की दूरी”) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। एक समय पर छोटी दुकान पर दो से अधिक एवं बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।
- (3) मॉल्स में स्थित दुकानें इसमें सम्मिलित नहीं हैं।
- iv. प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि खुल सकेंगे।
- v. अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
- vi. विवाह सम्बन्धी समारोह के लिए उप खण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी। सामाजिक दूरी की अनुपालना की जाएगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- vii. अन्तिम क्रियाकर्म/अन्तिम संस्कार में सामाजिक दूरी की पालना की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।

B. सामान्य सावधानियाँ (Common Prescriptions) :

सभी क्षेत्रों और सभी जिलों के लिए निम्नांकित मानक सावधानियाँ और प्रतिबंध लागू रहेंगे :

सार्वजनिक स्थान

1. सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चेहरे पर मास्क नहीं पहनना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
2. सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा।

3. सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट—“दो गज की दूरी”) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।
4. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

कार्य स्थलों (कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, कारखाने आदि) के लिए अतिरिक्त शर्तें :

5. जहाँ तक संभव हो घर से काम करने को व्यवहार में लाया जाए।
6. कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने पर तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work / business hours)।
8. सभी प्रवेश और निकास स्थानों और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
9. सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।
11. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ऊपर वर्णित प्रतिबन्धों एवं सामान्य सावधानियों की क्रियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005/राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्माना एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जायेगी।

C. अनुमत गतिविधियां (Permitted activities) :

सभी जोन के लिये समान :

1. “अनुमत श्रेणी के सभी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान, उद्योग, सेवाएं एवं अन्य गतिविधियां जो कि “निषिद्ध गतिविधियों” की श्रेणी में नहीं हैं, अब खुल सकती हैं। इसी प्रकार ऐसी सभी इकाई आदि जो “प्रतिबंधित गतिविधियों” में हैं वह उनके लिये निर्धारित शर्तों की पालना करने पर खुल सकती हैं। इन सबको पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है जब तक कि विशिष्ट तौर पर उल्लेख नहीं हो एवं निम्न शर्तों के अधीन ही खुली रहेंगी:
- (1) ऐसी सभी इकाईयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा पार्ट-बी में निर्दिष्ट मूलभूत ऐहतियाती उपायों की अनुपालना की जायेगी।

- (2) जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित विभागों / अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि इन मापदण्डों / सावधानियों की सभी इकाइयों द्वारा अनुपालना की जा रही है।
- (3) यह पाये जाने पर कि कोई इकाई शर्तों की पालना नहीं कर रही है को बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) कोई भी इकाई जो निषिद्ध श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती हैं, के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- (5) ऐसी ईकाई जिसके बारे में निषिद्ध श्रेणी में होने या नहीं होना, स्पष्ट नहीं है के बारे में जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावेगा।

D. जिलों का “जोन” में वर्गीकरण (Classification of Districts in “Zones”)

1. राज्य में क्षेत्रों को जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर तीन “जोन” यथा—रेड जोन, ऑरेन्ज जोन एवं ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है।
2. राज्य में क्षेत्रों का वर्तमान वर्गीकरण परिशिष्ट 1 के अनुसार 3 जोन में किया गया है। जब किसी विशेष क्षेत्र / क्षेत्रों में जोखिम का प्रोफाइल परिवर्तित होने पर राज्य सरकार द्वारा इस वर्गीकरण को संशोधित किया जा सकता है।

3 रोकथाम जोन (Containment Zones) :

रेड जोन एवं ऑरेन्ज जोन के रोकथाम जोन में भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन में वर्णित अनुसार प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जायेगा एवं केवल आवश्यक आपूर्ति गतिविधियाँ ही अनुमत होंगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा।

इन गाईड—लाईनस में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर के कन्टेन्मेन्ट एरिया / कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृत की गयी छूट, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।

जोन—वार प्रतिबंधित गतिविधियां निम्नानुसार हैं :

I **रेड जोन :** (कन्टेन्मेन्ट जोन / कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा)
निम्नांकित गतिविधियां निम्न वर्णित शर्तों के साथ क्रियाशील रहेंगी :

1. **सरकारी कार्यालय :** महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए विभाग / कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ, अन्य कार्यालय अधिकारियों की पूर्ण क्षमता तथा 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ; शेष स्टाफ वर्क फ्रॉम होम के आधार पर।

2. वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठान :

आवश्यकता के अनुसार स्टाफ तथापि वर्क फ़्रोम होम को प्रोत्साहित करना चाहिए।

3. अन्य निजी कार्यालय

50% स्टाफ के साथ; शेष स्टाफ वर्क फ़्रोम होम के आधार पर।

4. सार्वजनिक / सामुदायिक पार्क बन्द रहेंगे।

5. परिवहन :

कोई वाणिज्यिक यात्री वाहन (बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि) अनुमत नहीं जब तक विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती।

II ऑरेंज जोन (कन्टेन्मेन्ट जोन / कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर):

ऐसी सभी गतिविधियां जो रेड जोन में अनुमत की गयी हैं, ऑरेंज जोन के लिये भी अनुमत होंगी। इसके अतिरिक्त, निम्न की अनुमति होगी :

1. कार्यालय :

सभी सरकारी कार्यालय / निजी कार्यालय – दो-तिहाई स्टाफ के साथ शेष वर्क फ़्रोम होम के आधार पर।

2. सार्वजनिक / सामुदायिक पार्क :

केवल प्रातः 7 बजे से सांय 6:30 बजे तक खुल सकेंगे। परन्तु व्यक्तियों को सामाजिक दूरी (6 फीट / 2 गज की दूरी) का कठोरता से ध्यान रखा जायेगा एवं एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे की शर्त के साथ अन्य प्रतिबंधों की अनुपालना।

3. परिवहन :

निम्नांकित वाणिज्यिक यात्री वाहनों को अनुमति होगी :

(a) टैक्सी एवं कैब संचालक (ओला, उबर आदि) – वाहन चालक एवं अधिकतम 2 यात्री।

(b) ऑटो रिक्शा / साईकिल रिक्शा – ड्राईवर एवं एक यात्री।

(c) गृह विभाग द्वारा अनुमोदित मार्ग पर बस सेवाएँ।

(d) सिटी बसों को अनुमति नहीं होगी।

III ग्रीन जोन :

इस आदेश के भाग-ए में निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर एवं प्रतिबंधित गतिविधियों का सशर्त पालन के साथ सभी गतिविधियां अनुमत होंगी।

सभी व्यक्तियों एवं कार्य स्थलों के प्रभारियों के लिये भाग-बी में वर्णित सभी सामान्य सावधानियां अनिवार्य रहेंगी।

E. व्यक्तियों का आवागमन / परिवहन / पास :

- (i) गृह मंत्रालय की दिनांक 17 मई, 2020 की गाईडलाइन्स के परिशिष्ट-1 में व्यक्तियों के आवागमन हेतु वर्णित मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) जारी रहेंगी।
- (ii) राज्य/(राज्यों) केन्द्र शासित प्रदेश (UTs) की आपसी सहमति से यात्री वाहनों (बसें/टैक्सी सहित) का अंतर-राज्यीय आवागमन हो सकेगा।
- (iii) कोई ट्रक या अन्य माल / भाड़ा वाहन सामान, पशुधन, खनिज या निर्माण सामग्री आदि के साथ या खाली का अन्तराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन बिना रूकावट के रहेगा।
- (iv) मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी एवं एम्बूलेस का अन्तराज्यीय एवं राज्य के भीतर बिना रूकावट आवागमन रहेगा।
- (v) राज्य के भीतर एक जिले से (कोई जोन) से दूसरे जिले (कोई जोन) के लिये उद्योग या निर्माण गतिविधियों के लिये श्रमिकों का परिवहन अनुमत है।
- (vi) राज्य के भीतर गृह विभाग द्वारा अनुमत किये गये मार्गों पर बसों का आवागमन हो सकेगा।
- (vii) **ग्रीन जोन में सिटी बस सेवाएँ अनुमत होंगी।**
- (viii) अन्य सभी कामर्शियल यात्री परिवहन वाहन – टैक्सी, कैब संचालक (ओला / उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा का चलन भी जोन वाईज़ प्रतिबंधों के अधीन अनुमत होगा।
- (ix) किसी भी वाहन (निजी / वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही **सवारियों** की संख्या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी द्वारा शुरुआत में **अनुमोदित सवारी बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।**
- (x) जब तक की जोनल प्रतिबंधों की वजह से विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, **व्यक्तियों या वाहनों के राज्य के अन्दर आवागमन के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी।** तथापि ऐसा आवागमन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

1. व्यक्तियों / वाहनों का आवागमन **केवल** इन गाईडलाइन्स के अन्तर्गत आपातकाल या अनुमत गतिविधियों के लिये ही होगा।
2. कोई भी व्यक्ति जो लोकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करता है के विरुद्ध वाहन की जब्ती सहित कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

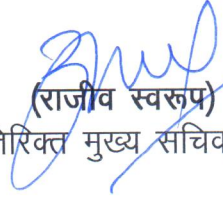
(xi) राज्य के बाहर या राज्य के भीतर यात्रा के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र / पास।

यह दिनांक 11.5.2020 को जारी किये गये आदेश में वर्णित एसओपी एवं दिनांक 13.5.2020 को जारी किये गये संशोधन में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

नोट : निर्धारित (Scheduled) रेल और बस सेवा द्वारा (बसों के लिये उपरोक्त E (ii) के अनुसार) राज्य से बाहर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी।

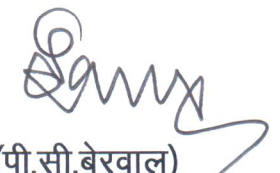
F. कार्यान्वयन मशीनरी

कार्यान्वयन मशीनरी विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी किये गये समसंख्यक आदेश के अनुरूप होगी।


(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

Categorization

District	Urban	Panchayat Samiti							
Ajmer	Urban	Beawer	Nasirabad - Urban	Kishangarh	Arain	Bhinay	Jawaja	Kekri	
		Masuda	Pisangan	Sarwar	Shrinagar	Silora			
Alwar	Urban	Bansur	Behror	Kathumar	Kishangarh	Kotkasim	Laxmangarh	Mandawar	
		Neemrana	Rajgarh	Ramgarh	Reni	Thanagazi	Tijara	Umrain	
Banswara	Urban	Anandpuri	Arthoona	Bagidora	Banswara	Chhoti Sarwan	Gangartalai	Garhi	
		Ghatol	Kushalgarh	Sajjanganarh	Talwara				
Baran	Urban	Atru	Baran	Chhabra	Chhipabarod	Kishanganj	Shahbad		
Barmer	Urban	Baitu	Balotra	Barmer	Chohtan	Dhanau	Dhorimana	Gadra Road	Gida
	Gudamalan	Kalyanpur	Patodi	Ramsar	Samadri	Sedwa	Shiv	Sindhary	Siwana
Bharatpur	Urban	Bayana	Deeg	Kaman	Kumher	Nadbai	Nagar	Pahari	Rupbas
		Sewar	Weir						
Bhilwara (Migrant Population)	Urban	Asind	Banera	Bhilwara	Bijoliya	Hurda	Jahazpur	Kotri	Mandal
		Mandalgarh	Raipur	Sahara	Shahpura				
Bikaner	Urban	Bikaner	Dungargarh	Khajuwala	Kolayat	Lunkaransar	Nokha	Panchoo	
Bundi	Urban	Bundi	Hindoli	Keshorai Patan	Nainwa	Talera			
Chittaurgarh	Urban	Bari Sadri	Begun	Bhadesar	Bhupalsagar	Chittaurgarh	Dungla	Gangrar	Kapasan
		Nimbahera	Rashmi	Rawatbhata					
Churu	Urban	Bidasar	Chhapar	Ramal Desar	Rajgarh	Ratangarh	Sardarshahar	Sujangarh	Taranagar
Dausa	Urban	Nangal Rajawatan	Bandikui	Dausa	Lalsot	Lawan	Mahwa	Sikrai	Ramgarh Pachwara
		Sikandara	Baswa	Bejupura					
Dhaulpur	Urban	Bari Urban	Bari	Baseri	Dhaulpur	Rajakhera	Saipau	Sarmathura	
Dungarpur	Urban	Aspur	Bichhiwara	Chikhli	Dovda	Dungarpur	Galiykot	Jothri	Sabla
		Sagwara	Simalwara						
Ganganagar	Urban	Vijainagar	Anoopgarh	Ganganagar	Gharsana	Karanpur	Padampur	Raisinghnagar	Sadulshahar
		Suratgarh							
Hanumangarh	Urban	Bhadra	Hanumangarh Rural	Nohar	Pilibangan	Rawatsar Rural	Sangria	Tibbi	
Jaipur	Urban	Amber	Bassi	Chaksu	Dudu	Govindgar	Jalsu	Jamwa	Jhotwara
		Kotputli	Paota	Phagi	Sambhar	Sanganer	Shahpura	Viratnaga	
Jaisalmer	Urban	Jaisalmer	Sam	Sankra					
Jalor	Urban	Ahore	Bhinmal	Chitalwana	Jalor	Jaswantpura	Raniwara	Sanchore	Sayla
Jhalawar	Urban	Jhalrapatan Urban	Aklara	Bakani	Bhawani Mandi	Dug	Khanpur	Manoharthana	Pirawa
Jhunjhunun	Jhunjhunu - Urban	Alsisar	Buhana	Chirawa	Jhunjhunu - Rural	Khetri	Nawalgarh	Surajgarh	Udaipurwati

District	Urban	Panchayat Samiti							
		Balesar	Baori	Bap	Bapini	Bhopalgarh	Bilara	Dechu	Lohawat
Jodhpur (Migrant Population)	Urban	Luni	Mandor	Osian	Phalodi	Pipar City	Shekhala	Shergarh	Tinwari
Karauli	Urban	Hindaun	Karauli	Mandrial	Nadoti	Sapotra	Todabhim		
Kota	Urban	Itawa	Khairabad	Ladpura	Sangod	Sultanpur			
Nagaur (Migrant Population)	Urban	Degana	Didwana	Jayal	Khinvsar	Kuchaman	Ladnu	Makrana	Merta
		Molasar	Mundwa	Nagaur	Nawa	Parbatsar	Riyan		
Pali (Migrant Population)	Urban	Bali	Desuri	Jaitaran	Marwar Ju	Pali	Raipur	Rani	Rohat
		Sojat	Sumerpur						
Pratapgarh	Urban	Arnod	Chhoti Sadri	Dhariawad	Peepalkhoont	Pratapgarh			
Rajsamand	Urban	Amet	Bhim	Deogarh	Khamnor	Kumbhalga	Railmagra	Rajsamand	
Sawai Madhopur	Urban	Bamanwas	Bonli	Chauth Ka Berwada	Gangapur City	Khandar	Sawai Madhopur		
Sikar (Migrant Population)	Urban	Danta Ramgarh	Dhod	Fatehpur	Khandela	Lachhmangarh	Neem Ka Thana	Patan	Piprali
		Sri Madhopur							
Sirohi	Urban	Abu Road	Pindwara	Reodar	Sheoganj	Sirohi			
Tonk	Urban	Deoli	Malpura	Niwai	Todaraisingh	Tonk	Uniara		
Udaipur (Migrant Population)	Urban	Badgaon	Bhinder	Girwa	Gogunda	Jallara	Jhadol	Kherwara	Kotra
	Kurawad	Lasadiya	Mavli	Phalasiya	Rishabhdev	Salumbar	Sarada	Sayara	Semari

Mus